सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

आश्विन 04, शुक्रवार, *शाके* 1947- सितम्बर 26, 2025
Asvina 04, Friday, Saka 1947- September 26, 2025

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त (वित्तीय नियम) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 26, 2025

जी.एस.आर.58 :-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956(1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(1)/एफडी/एसपीएफसी/2025 दिनांक 14.08.2025 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,
मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव।

वित्त (वित्तीय नियम) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 14, 2025

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीतियों, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के विभागों और उद्यमों के संसाधनों और विशेषज्ञता के उपयोग और उपापन संस्थाओं के व्यक्तिश: बोलियों के आमंत्रण और प्रक्रिया में अपेक्षित समय, धन और प्रयासों की बचत के लिए यह आवश्यक है, इस विभाग की, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.1(8)/एफडी/जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 04 सितम्बर, 2013 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में,-

(i) क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 2 के खंड (ग) के सामने, स्तंभ 3 में, विद्यमान मद संख्या 4 के पश्चात्, निम्नलिखित नई मद 5 जोड़ी जायेगी,अर्थात्:-

"5. राजस्थान संविधान क्लब"; और

(ii) विद्यमान क्रम संख्यांक 50 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

50.	शासकीय बैठकों/सम्मेलनों/ आयोजनों में खाद्य और पेय, कैटरिंग	राजस्थान पर्यटन विकास निगम/भारतीय पर्यटन विकास निगम/ राजस्थान राज्य होटल निगम/कान्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान से	कान्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान, केवल कान्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में आयोजित बैठकों/सम्मेलनों/ आयोजनों में खाद्य, पेय और कैटरिंग प्रदाय करेगा

"

[एफ.2(1)/एफडी/एसपीएफसी/2025]
राज्यपाल के आदेश से,
मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.